प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अट्ठाईस' परिशिष्ट "ग" [20/2/2019]

प्रश्न सं. [क. 578]

(थ)	बंधक संपत्ति के प्रति हस्तांतरण पत्र की लिखत हेतु	:	1000 रुपए
(द)	मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000 के अधीन घोषणा हेतु.	:	1000 रुपए

टिप्पण:—किसी ऐसे अन्य दस्तावेज पर जो इस सारणी के किसी अन्य अनुच्छेद के अधीन न लाया जा सकता हो, पांच सौ रुपए रजिस्ट्रीकरण फीस उद्गृहीत की जाएगी.

अनुच्छेद—चार

अन्य फीस

1.	(क)	वसीयत के मुहरबंद लिफाफे को जमा करने के लिए	:	1000 रुपए
	(ख)	ऐसे लिफाफे को खोलने या वापस लेने के लिए	:	500 रुपए
2.	(क)	किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रदान करने के लिए	:	200 रुपए
	(ख)	इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति डाउनलोड करने हेतु.	:	200 रुपए
3.		नक्शे को प्रमाणित प्रति देने या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से कम्प्यूटर-जनित नक्शा डाउनलोड करने के लिए. टीप—शासकीय सेवकों को, जिन्हें सद्भावपूर्ण लोक प्रयोजन हेतु नक्शों की प्रतियां आवश्यक हों, फीस के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी.	:	200 रुपए
4.	(क)	ऐसे दस्तावेज की अभिरक्षा के लिए, जो उस दिनांक से, जबसे कि वह पृष्ठांकित, रजिस्ट्रीकृत किया गया हो या रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया गया हो, एक माह तक अदावाकृत रहा हो.	:	पहले माह के पश्चात् ऐसे प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए, जिसके दौरान दस्तावेज अदावाकृत रहा हो, अधिकतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए 100 रुपए पहले माह के पश्चात ऐसे प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए, जिसके दौरान प्रतिलिपि अदावाकृत रही हो, अधिकतम पांच सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए 50 रुपए.
	(ख)	ऐसे दस्तावेज की प्रतिलिपि की अभिरक्षा के लिए, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की गई हो या रजिस्ट्रीकृत की जा चुकी हो, जबकि ऐसी प्रतिलिपि रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर तैयार की गई हो और उस दिनांक से, जबकि वह आवेदक को दिए जाने के लिए तैयार थी, एक माह तक अदावाकृत रही हो.		
5.		रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को डाक से लौटाने के लिए :		
	(क)	एकल दस्तावेज के लिए	:	100 रुपए
	(ख)	उसी रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में लौटाए जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त दस्तावेज के लिए	:	50 रुपए
6.		रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त फीस.	:	साधारण फीस के अतिरिक्त 1000 रुपए

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यक कर विभाग

(घ) छूट की पात्रता भूमि तथा / या अचल सम्पत्ति के मूल्य पर या उक्त विस्थापित व्यक्ति को मुआवजे, विशेष पुनर्वास अनुदान, पुनर्वास अनुदान, वित्तीय सहायता आदि के रूप में भुगतान की गई प्रतिफल की कुल राशि पर, इनमें से जो भी कम हो, प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क तक सीमित होगी;

(ङ) विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र के आधार पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को की जायेगी;

(च) पुनर्वास नीति में यथा-परिभाषित विस्थापित परिवार को ही छूट की पात्रता होगी;

(छ) ऐसा भूमिहीन विस्थापित व्यक्ति एवं वयस्क पुत्र भी जो पुनर्वास अनुदान, उत्पादक आस्तियों के क्रय के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता, पुनर्वास स्थल पर विकसित आवासीय भू-खण्ड के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त विभिन्न राशियों से कृषि भूमि तथा / या अन्य अचल सम्पत्ति क्रय करना चाहता है, उक्त छूट के लिये हकदार होगा.

(22) मध्यप्रदेश कृषि उधार प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण उपबंध (बैंक) अधिनियम, 1972 और नियम 1974 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी के अनुच्छेद नौ (ण) के अधीन प्ररुप-पांच में कृषि ऋण के घोषणा-पत्र फाइल करने के लिये रजिस्ट्रीकरण शुल्क से छूट दी जाती है.

(23) कृषि ऋण के बंधक विलेख के प्रतिहस्तांतरण पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क से छूट दी जाती है.

(24) केन्द्र या राज्य शासन के शासकीय सेवकों को, जिन्हें सद्भावनापूर्ण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रविष्टियों या दस्तावेजों एवं नक्शों की प्रतिलिपियों की आवश्यकता हो, या उनका निरीक्षण करने या जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता हो शुल्क से छूट दी जाती है.

(25) अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-7(बी)-13-2014-2-पांच (27), दिनांक 8 अगस्त, 2014 द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी के अनुच्छेद-सात के खण्ड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकृत बैंकों से कृषि प्रयोजन हेतु ऋण लेने के प्रयोजन के लिये निरीक्षण की मंजूरी देने के लिये शुल्क निम्नानुसार होगा :—

(एक)	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आने वाले भूमिस्वामी,	: कुछ नहीं
(दो)	भूमिस्वामी; जो ऊपर मद (एक) के अंतर्गत न आते हों तथा 10 हेक्टेयर से अनधिक भूमि धारण करते हों.	: 50 रुपये

(26) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अधीन आवास गृह निर्माण से प्रयोजन के लिये प्राप्त होने वाले एक लाख रुपये तक के ऋण या अग्रिम का प्रतिसंदाय सुनिश्चित करने के लिए, किसी बैंक या वित्तीय संस्था के पक्ष में हितग्राही द्वारा निष्पादित हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित लिखत पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी के अनुच्छेद नौ (ण) के अधीन फाइल करने के लिये निर्धारित / अधिसूचित शुल्क से छूट दी जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उप सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

क्र. एफ बी-4-22-2014-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-22-2014-2-पांच (31), दिनांक 12 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उप सचिव.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यक कर विभाग

(१)	(२)
५२. पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति अर्थात् पोत की यात्रा के विवरणों का ऐसा घोषणा-पत्र, जो हानियों का समायोजन करने या औसतों का परिकलन करने की दृष्टि से उसके द्वारा लिखा गया है और पोत को भाड़े की संविदा पर लेने वालों या परेषितियों द्वारा पोत पर माल न लादने या पोत से माल न उतारने के लिये उसके द्वारा उनके विरुद्ध लिखित रूप में की गई कोई घोषणा जबकि ऐसा घोषणा-पत्र नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित किया गया है.	पचास रुपये.
५३. बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण, जिसमें हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक सम्मिलित है;	एक हजार रुपये.
५४. निर्मुक्ति अर्थात् कोई लिखत, (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिये धारा २३-क द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर दावे का त्याग कर देता है—	
(एक) जहां कुटुंब के किसी सदस्य के पक्ष में है;	उस शुल्क का आधा शुल्क, जो संपत्ति के उस शेयर, जिस पर कि दावे का त्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(दो) अन्य किसी मामले में—	वही शुल्क, जो संपत्ति के उस शेयर, जिस पर कि दावे का त्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, इनमें जो भी अधिक हो, के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा.	
५५. जहाजी माल बंधपत्र, अर्थात् कोई लिखत जो उस उधार के लिये प्रतिभूति देती है जो किसी पोत के फलक पर लादे गये या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गंतव्य पत्तन पर पहुंचने पर समाधित है;	वही शुल्क जो प्रतिभूत किए गए उधार की रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.
५६. प्रतिभूति बंधपत्र जो बंधक-विलेख नहीं है— जहां ऐसा प्रतिभूति बंधपत्र किन्हीं पदीय कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है, या प्रतिभू द्वारा किसी संविदा का सम्यक् पालन सुनिश्चित करने के लिये निष्पादित किया गया है, या किसी न्यायालय या लोक अधिकारी के आदेश जो न्यायालय फीस अधिनियम, १८७०, (१८७० का ७) द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो के अनुसरण में निष्पादित किया गया है;	वही शुल्क जो उतनी ही रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग